कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् सुश्री कविता सिंह, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, पालड़ी मीणा, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि, मौजमाबाद–दूदू, जयपुर किया गया। सुश्री कविता सिंह ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या–3133/2019 सुश्री कविता सिंह बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या–3133/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक–07.11.2019 द्वारा अपीलार्थी सुश्री कविता सिंह को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निरतारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी सुश्री कविता सिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के एकल महिला होने, माता–पिता दोनों की मृत्यु हो जाने तथा कोई भाई भी नहीं होने एवं अकेली अविवाहित एकल महिला होने के कारण यथावत राउमावि, पालडी मीणा, जयपुर में स्थानान्तरण करने अथवा निम्नांकित विद्यालय में स्थानान्तरण 1–राउमावि, वाटिका सांगानेर, जयपुर, 2–राउमावि, पोद्दार, जयपुर, 3–राबामावि, चौड़ा रास्ता, जयपुर, 4– राउमावि, गोपालपुरा देवरी, जयपुर, 5–श्री एम.आर. बोरा, राबाउमावि, सांगानेर–वाटिका, जयपुर में करने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के कम में अपीलार्थिया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए इनका पदस्थापन/समायोजन श्री एम.आर.बोरा राबाउमावि, वाटिका–सांगानेर, जयपुर में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./कविता सिंह/3133/2019/57 दिनांक–20/01/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य–
9. संबंधित कार्मिक–
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर